संख्या-७/२०१७/८६९/५७-२०१७/७(१)/२०१७

प्रेषक,

रघुबीर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राजकीय निर्माण निगम लि0,
विश्वैश्वरया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2017

विषयः जनपद-गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना/प्रस्ताव/ आगणन पर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-308/इकाई-3/कैलाश मानसरोवर/रानिनि/ 2017, दिनांक 24-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के निर्माण हेतु रू0-4293.59 लाख (रू0-बयालिस करोड़ तिरानवे लाख उनसठ हजार मात्र) की कार्य लागत/ आंकलित धनराशि की प्रायोजना की स्वीकृति, प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 योजना भवन, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त आंकलित धनराशि रू0-4293.59 लाख (रू0-बयालिस करोड़ तिरानवे लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में ४० प्रतिशत अर्थात कुल रू0-1700.00 लाख (रू0-सत्रह करोड़ मात्र) अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-४२५०-८००-०५ कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद से अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य उक्त भवन हेतु भूमि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/काष्ट ओवर रन न हों। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैन्युएल के प्रस्तर 212(सात) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निर्माण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन पूर्णतः करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्च कोटी हो तथा समय-समय पर कराये जा रहें निर्माण कार्यों की मैनिटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तखण्ड पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

(8) परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत करा लिया जाये।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा लेवरसेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रायोजना के अन्तर्गत ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नहीं है उनकी लागत का आंकलन बाजार दर/कोटेशन के आधार पर किया गया है अतः उक्त कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत नियुनतम् आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाये एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपरायटरी कार्य मदों पर व्यय सुंसगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाये एवं इन मदों पर वास्ताविक व्यय ही देय होगा। प्रायोजनान्तर्गत आगरा रेड स्टोन, मैटल सीलिगं सिस्टम, टफएण्ड फ्लोट ग्लास ग्लेजिगं का प्राविधान किया गया है जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, का प्रयोग किया जायेगा।

(14) उक्त प्रायोजनान्तर्गत आगरा रेड स्टोन, डी0जी0 सेट, फीडर पिलर, एल0टी0 पैनल के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार दरें प्राप्त की जायें चूँकि ये प्रोपरायटरी श्रेणी के कार्य है और इनके श्यडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पैसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है, अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुंसगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(15) प्रायोजना प्रस्ताव में स्टोन क्लेडिंग एवं पाइल-फाउन्डेशन सहित बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, का प्रयोग किया जायेगा।

(16) प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं एवं प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) प्रायोजना प्रस्ताव में अंकित विशिष्टियां एवं कार्यप्राविधानों के अतिरिक्त अन्य कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजना में सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 मद में नियमानुसार वास्तवित आवश्यकता के आधार पर धनराशि देय होगी।

(19) कार्यमदे यथा डी0जी0 सेट, यू0पी0एस0 सब स्टेशन उपकरण फर्निसिंग फर्नीचर एस0टी0पी0 आर0ओ0 प्लांट, आर्ट स्कल्पचर सी0सी0टी0वी0, सोलर हीटिंग सिस्टम् आदि का निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

3- उक्त व्यय अनुदान सं0-84 के लेखा शीर्षक-४२५०-८००-०५ कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र0सं0-ई-5-६९६/दस-२०१७, दिनांकः ०५ अक्टूबर, २०१७ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रघुबीर
विशेष सचिव।

<u>संख्या-७/२०१७/८६९(१)/५७-२०१७/७(१)/२०१७ तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, गोमती नगर लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0।
(6) जिलाधिकारी, चित्रकूट।
(7) वित्त व्यय नियंत्रण-5, सामान्य प्रशासन अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in